न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) ...

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व वाद 35/2019

वादी :— 1. अर्जुनसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी साजियाली रूपजी कण्ठवाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. पारसमल पुत्र घमंडीलाल जाति खारवाल निवासी खरतोणियों की वास तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।
2. सोनाराम पुत्र भारमलराम जाति जाट निवासी साजियाली रूपजी कंठवाडा तहसील पचपदरा।
3. गोकलाराम पुत्र भारमलराम जाति जाट निवासी साजियाली रूपजी कंठवाडा तहसील पचपदरा
4. भोमाराम पुत्र मालाराम के कायम मुकाम
   4/1. अणसीदेवी पत्नी स्व. श्री भोमाराम जाति जाट निवासी साजियाली रूपजी कंठवाडा तहसील पचपदरा
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदारजी पचपदरा जिला बाडमेर ।

वाद पत्र वास्ते बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— 1. श्री रतनलाल वादीगण वकील

निर्णय दिनांक :— 23.3.2022

वादीनी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया । वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी कि सरहद मौजा साजीयाली रूपजी कण्ठवाडा पटवार क्षेत्र कालेवा तहसील पचपदरा की राजस्व सीमा में खेत खसरा नं0171 [illegible] किस्म बारानी सोयम भूमि वादी के खातेदारी व कब्जा काश्त की [illegible] हुई [illegible] प्रमाणित प्रतिलिपि संवत 2072 से 2075 साथ पेश है। वादी के उपरोक्त [illegible] की भूमि के बदिशा उत्तर पश्चिम में दक्षिणी कोने की तरफ प्रति[illegible] संख्या 1 पारसमल के खसरा संख्या 55 एवं बदिशा उत्तरी पश्चिमी की तरफ उत्तरी कोने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के खसरा संख्या 60 की जुडती भूमि आई हुई है। मौके की स्थिति को सुस्पष्ट करने हेतु मौके का नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' साथ पेश है। जिसमें मार्क (1)

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:59:06 IST
Reason: SelfAttested

(2), (3), व (4) के बीच वादी के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 171/59 रकबा 30–18 बीघा आया हुआ है जिसमें मार्क ए, बी, सी, डी, बरंग लाल दर्शाया गया रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का अतिक्रमण व सी, बी,एफ, ई बरंग लाल रकबा 4 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का अतिक्रमण किया गया है। नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' को दावें को अंग शुमार किया जाता है ।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने वादी के उपरोक्त खातेदारी की सीमाओं को लेकर विवाद खडा कर वादी की खातेदारी भूमि के कुछ भाग पर अवैध, अनुचित तरीके से अतिक्रमण कर दिया जिस पर वादी ने अपने खातेदारी खेत की पैमाईश करवाकर नेखमबंदी करवाने हेतु न्यायालय में अंतर्गत [illegible] 111, 128 आर.एल.ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया।जिसके राजस्व [illegible] संख्या 457/2017 है। जिसमें दिनांक 22.02.2018 को वादी के उपरोक्त [illegible] की पैमाईश कर नेखम लगाने के आदेश हुए। जिसकी पालना में [illegible] निरीक्षक साजीयाली पदमसिंह व हल्का पटवारी ने दिनांक 29.06.18 [illegible] के खते की पैमाईश कर निशानात कायम किये गये ।

वादी व प्रतिवादीगण के आंधी [illegible] तुफान [illegible] पर सेढा माठ का कोई अस्तित्व नही रहा। प्रतिवादी संख्या 1 ता [illegible] द्वारा [illegible] के समय हाल ही दो तीन वर्षो में टेक्टरों द्वारा वादीगण के हक हिस्से [illegible] पर सेढा माठ के जुडती अवेध अतिक्रमण कर कब्जा कर दिया [illegible]। वादी [illegible] प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने का निवेदन किया गया, मगर प्रतिवादीगण आश्वासन देते रहे । वादी के खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज कब्जा अतिक्रमण कर दिया गया। प्रतिवादीगण का उपरोक्त कृत्य अवैध व अनुचित है। अतः वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व दाव पेश कर उनका वादी की खातेदारी भूमि पर से अतिक्रमण हटा कर भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु बेदखली तथा प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी खेत में किसी तरह से हस्तक्षेप या दखल पैदा नहीं करे इस हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु पेश है।

अंत में निवेदन किया गया कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व डिक्री पारित की जाकर प्रतिवादीगण का अनुचित अतिक्रमण से बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने एवं प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये [illegible] भिजवाये गये, प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:59:06 IST
Reason: SelfAttested

(S.D.O.) बालोतरा

वादी की और से साक्षी वादी में अर्जुनसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी साजियाली रूपजी कण्ठवाडा तहसील पचपदरा के पीडब्लू–1 अर्जुनसिंह के द्वारा बयान में जाहिर किया कि मौजा साजीयाली रूपजी कण्ठवाडा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 171/59 रकबा 30–18 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रकबा 02–14 बीघा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 द्वारा 04 विस्वा भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है

हमनें वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस को सुनी गई, वादी के विद्ववान अधिवक्ता के द्वारा वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया, एवं वाद पत्र में वादीगण की से साक्षी वादी में प्रस्तुत गवाहान एवं प्रदर्श करवाये गये साक्ष्य सबूतों के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया अवलोकन करने से जाहिर होता है कि वादगस्त आराजी खसरा न0 171/59 रकबा 30 बीघा 18 विस्वा, भूमि सरहद मौजा साजीयाली रूपजी कण्ठवाडा मे आयी हुई है । वादी के द्वारा प्रस्तुत गवाहान एवं प्रदर्श करवाये गये दस्तावेजात प्रदर्श 2 जमाबंदी नकल संवत 2072–2075, नक्शा प्रदर्श–3, भू. अ.निरीक्षक साजियाली के द्वारा नेखमबंदी पालना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श 4, मौका नक्शा नेखमबंदी प्रदर्श–5,परिशिष्ट 'अ' मौका कब्जा प्रदर्श–6 के आधार पर पीडब्लू–1 अर्जुनसिंह के द्वारा बयान में जाहिर किया कि मौजा साजीयाली रूपजी कण्ठवाडा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 171/59 रकबा 30–18 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रकबा 02–14 बीघा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 द्वारा 04 विस्वा भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है । उपरोक्त भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण माफिक परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये मार्क ए,बी,सी,डी बरंग लाल रकबा 02 बीघा 14 विस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का अतिक्रमण व सी, बी, एफ, ई बरंग लाल रकबा 4 विस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या –2 ता 4 का अतिक्रमण से बेदखल करवा के वाद की खातेदारी वादग्रस्त आराजी का कब्जा प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर सरहद मौजा साजीयाली रूपजी कण्ठवाडा पटवार क्षेत्र कालेवा तहसील पचपदरा की राजस्व सीमा में खेत खसरा नं0 171/59 रकबा 30 बीघा 18 विस्वा पर नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 29.0[illegible]बंदी प्रदर्श–5, परिशिष्ट 'अ' मौका पर से प्रतिवादीगण को बेदखल करने हेतु [illegible] पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि एक अनुभवी [illegible] वादग्रस्त आराजी की पुनः मौके पर पैमाईश करवाकर मौके पर पक्के नेखम स्थापि[illegible]र प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी भूमि से बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द किया जावे, एवं पालना

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:59:06 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:59:06 IST
Reason: SelfAttested